भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4825

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

कठेन मध्यम सिंचाई परियोजना

4825. श्री राहुल सिंह लोधी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कठेन नदी पर एक मध्यम सिंचाई परियोजना लगभग पांच वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी जिसके लिए वर्ष 2023 में अनुबंध हुआ था, परंतु निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा; और

(घ) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करने में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): जल के राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, उनका कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार का कार्य है। भारत सरकार की भूमिका चल रही योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कटेन नदी पर एक वृहद सिंचाई परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर, 2020 में प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के निर्माण हेतु पर दिनांक 05.04.2023 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने आगे सूचित किया है कि वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी जैसी वैधानिक मंजूरी न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा, परियोजना स्थल पर भू-तकनीकी जांच से प्रस्तावित स्पिलवे नींव क्षेत्र में चट्टानों की खराब स्थिति का पता चला है, जिसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श से स्पिलवे स्थान को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है।

उक्त सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य वैधानिक मंज़ूरियों के पूरा होने और स्पिलवे स्थान/नींव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद निर्धारित किया जाएगा।

*****